**चुनाव सम्बन्धी शंका समाधान**

**(यह सामान्य शंका समाधान है. विशिष्ट जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर चुनाव सम्बन्धी परिनियमों से अवगत हों.)**

1. क्या मैं अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग में छात्र संघ चुनाव में वोट डाल सकता हूँ?
   यदि आप का नाम महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग की मतदाता सूची में है तो आप मतदान कर सकते हैं. लेकिन पहचान पत्र के रूप में आपके पास महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग का फोटो लगा हुआ पहचान पत्र होना आवश्यक है.
2. मैं अपने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग का विद्यार्थी हूँ. मैं मतदान कहाँ से करूंगा?
   आप अपने महाविद्यालय में मतदान करेंगे.
3. मैं अपने अंगीभूत महाविद्यालय में बी एड विभाग का विद्यार्थी हूँ. मैं मतदान कहाँ से करूंगा?
   आप अपने महाविद्यालय में मतदान करेंगे.
4. चुनाव में प्रत्याशी के रूप में क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ?
   अ. यदि आप प्रतिष्ठा/सामान्य स्तर के स्नातक पाठ्यक्रम में हैं तो आप की अहर्ता निम्नांकित है:
   - आपका नाम आपके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग की मतदाता सूची में अवश्य हो.
   - नामांकन की तिथि को आप की उम्र १७ से २२ वर्ष के बीच होनी चाहिए.
   - आपका पाठ्यक्रम कम-से-कम एक वर्ष की अवधि का हो.
   - आप की उपस्थिति ७५% से कम नहीं हो.
   - आप महाविद्यालय में प्रतिष्ठा/सामान्य पाठ्यक्रम में प्रथम नामांकन के पश्चात सात वर्ष से अधिक नहीं पढ़ते रहे हों. इन सात वर्षों की अवधि में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की अवधि को नहीं गिना जायेगा.
   - आप पर महाविद्यालय द्वारा कोई भी अनुशासनात्मक करवाई कभी नहीं हुई हो.
   - आप सभी पत्रों में उत्तीर्ण हों.
   - आप पर कोई भी आपराधिक मुकद्दमा नहीं चल रहा हो.
   - आप जेल में नहीं हों.

   ब. यदि आप स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में हैं तो आप की अहर्ता निम्नांकित है:
   - आपका नाम आपके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग की मतदाता सूची में अवश्य हो.
   - नामांकन की तिथि को आप की उम्र २५ वर्ष से अधिक नहीं हो.
   - आप की उपस्थिति ७५% से कम नहीं हो.
   - आपका पाठ्यक्रम कम-से-कम एक वर्ष की अवधि का हो.
   - आप महाविद्यालय में प्रतिष्ठा/सामान्य पाठ्यक्रम में प्रथम नामांकन के पश्चात विश्वविद्यालय प्रणाली में सात वर्ष से अधिक नहीं पढ़ते रहे हों. इन सात वर्षों की अवधि में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की अवधि को नहीं गिना जायेगा.
   - आप पर महाविद्यालय/विश्विद्यालय द्वारा कोई भी अनुशासनात्मक करवाई कभी नहीं हुई हो.
   - आप सभी पत्रों में उत्तीर्ण हों.

- आप पर कोई भी आपराधिक मुकद्दमा नहीं चल रहा हो.
- आप जेल में नहीं हों.

5. मैं ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग में जब नामांकन छात्र के रूप में लिया था, तब से अभी तक की अवधि एक वर्ष नहीं हुई है. क्या मैं चुनाव में प्रत्याशी बन सकता हूँ?

   हाँ, आप प्रत्याशी बन सकते हैं लेकिन आपकी उपस्थिति की गणना उसी तिथि से होगी जिस तिथि से उस समसत्र की कक्षाएं प्रारंभ हुई हों. उदहारण के तौर पर, यदि स्नातक स्तर की प्रथम समसत्र की कक्षाएं अगस्त में किसी तिथि से प्रारंभ हुई हों तो उपस्थिति की गणना उसी तिथि से होगी.

6. मैं अपने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग का विद्यार्थी हूँ. मेरा नामांकन प्रत्याशी के रूप में कहाँ से होगा?

   आप अपने महाविद्यालय से नामांकन करेंगे.

7. मैं अपने अंगीभूत महाविद्यालय में बी एड विभाग का विद्यार्थी हूँ. मेरा नामांकन प्रत्याशी के रूप में कहाँ से होगा?

   आप अपने महाविद्यालय से नामांकन करेंगे.

8. मैं विश्वविद्यालय परिसर, हजारीबाग, का छात्र हूँ. मैं प्रत्याशी के रूप में कहाँ से नामांकन करूंगा?

   आप विश्वविद्यालय से नामांकन करेंगे.

9. मैं अपने अंगीभूत महाविद्यालय में बी एड विभाग का विद्यार्थी हूँ. प्रत्याशी के रूप में मेरी अधिकतम उम्र क्या हो सकती है?

   बी एड विभागों तथा बी एड महाविद्यालयों के लिए उम्र की सीमा सामान्य स्नातकोत्तर विभागों के अनुरूप अर्थात अधिकतम २५ वर्ष होगी.

10. मैं अपने महाविद्यालय में प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. नामांकन प्रपत्र मुझे कहाँ से मिलेगा?

    नामांकन प्रपत्र आपको अपने महाविद्यालय के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिलेगा.

11. मैं विश्वविद्यालय विभागों से प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. नामांकन प्रपत्र मुझे कहाँ से मिलेगा?

    नामांकन प्रपत्र आपको विश्वविद्यालय विभागों के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिलेगा.

12. मैं पूरे विश्वविद्यलाय के छात्र संघ पदाधिकारी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. नामांकन प्रपत्र मुझे कहाँ से मिलेगा?

    नामांकन प्रपत्र आपको विश्विद्यालय छात्र संघ चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से विश्वविद्यालय परिसर में मिलेगा.

13. मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. मुझे किन कागजातों को नामांकन पत्र के साथ लगाना पड़ेगा?

    आपको निम्लिखित कागजातों की आवश्यकता होगी:

    - सही-सही भरा हुआ नामांकन प्रपत्र ३ प्रतियों में.

- आपके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति प्रमाण पत्र (उपस्थिति पंजिका की प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित फोटो कॉपी के साथ).
- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग द्वारा निर्गत आपके फोटो लगे हुए पहचान पत्र (Identity Card) की फोटो कॉपी.
- आपका मैट्रिक/१०वीं का प्रमाण पत्र/अंक पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि का उल्लेख हो.
- आपका एफिडेविट जिसका प्रारूप आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.

14. मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. मुझे कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ेगी?
    आपको एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक की आवश्यकता होगी. इन दोनों का नाम आपके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग की मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए.
15. मैं पूरे विश्वविद्यलाय के छात्र संघ पदाधिकारी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहता हूँ. मेरा प्रस्तावक कौन हो सकता है?
    आपके प्रस्तावक तथा समर्थक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभागों के निर्वाचित प्रतिनिधि ही बन सकते हैं.
16. क्या मैं चुनाव में छपे हुए पोस्टर लगा सकता हूँ?
    नहीं, आप सिर्फ हाथ से लिखे हुए पोस्टर ही लगा सकते हैं.
17. क्या मैं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
18. क्या मैं प्रचार के लिए गाड़ियों का प्रयोग कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
19. क्या मैं प्रचार के लिए जानवरों का प्रयोग कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
20. क्या मैं किसी वर्ग में जाकर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
21. क्या मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कहीं भी पोस्टर लगा सकता हूँ?
    नहीं, आप महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पोस्टर लगा सकते हैं.
22. क्या मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की दीवारों पर नारे लिख/लिखवा सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
23. क्या मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
24. क्या मैं मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है.
25. क्या मैं जाति, धर्म अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव प्रचार कर सकता हूँ?
    नहीं, कोई भी मुद्दा जिससे आपसी वैमनस्य बढ़े, चुनाव की आचार संहिता के विरुद्ध है.
26. क्या मैं किसी राजनीतिक शख्सियत को चुनाव प्रचार के लिए बुला सकता हूँ?
    नहीं, यह वर्जित है. इससे आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी.
27. क्या मैं किसी बाहरी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिया बुला सकता हूँ?

नहीं, सिर्फ आपके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र के विद्यार्थी, जिनका नाम मतदाता सूची में है, चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं.

28. चुनाव प्रचार में खर्च की अधिकतम सीमा क्या है?

आप चुनाव प्रचार में अधिकतम ५००० रुपये खर्च कर सकते हैं.

29. क्या हम चुनाव के पहले किसी मुद्दे को लेकर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में धरना, प्रदर्शन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पदाधिकारियों पर दबाव डाल सकते हैं?

चुनाव की विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है. यदि आपको कोई शिकायत है तो आप चुनाव शिकायत कोषांग में शिकायत कर सकते हैं जो विधि निर्धारित कदम उठाएगा. यदि आप धरना, प्रदर्शन अथवा कोई भी अनुचित दबाव डालते हैं तो यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा तथा आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो सकती है.

30. मैं कब तक चुनाव प्रचार कर सकता हूँ?

आप मतदान समाप्त होने के २४ घंटे पहले तक प्रचार कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, यदि २७ नवम्बर को ९ बजे सवेरे से ३ बजे अपराह्न तक मतदान होना है तो आपका चुनाव प्रचार २६ नवम्बर को ३ बजे अपराह्न समाप्त हो जायेगा.

31. क्या कोई प्रत्याशी चुनाव बूथ में उपस्थित रह सकता है?

नहीं, प्रत्याशी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि बूथ से कम-से-कम सौ मीटर की दूरी पर रहेंगे.